प्रेस नोट
जनपद – सोनभद्र
दिनांक – 02.01.2026

- **थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस मुठभेड़ में रॉबर्ट्सगंज क्षेत्रान्तर्गत हुई 10 लाख की टप्पेबाजी/चोरी की घटना में संलिप्त 03 नफर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं कब्जे से 02 अदद अवैध दैशी तमंचा .315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर व चोरी का 1,35,000 रुपये बरामद करने के सम्बन्ध में-**
- **चोरी का रुपया होने के कारण एसबीआई बैंक में 8,15,610 रुपये व आईसीआईसीआई बैंक में 40,150 रुपया कराया गया होल्ड-**

प्रकरण- दिनांक 26.12.2025 को थाना रॉबर्ट्सगंज पर विद्यासागर तिवारी निवासी बलिया द्वारा तहरीर दी गई कि उनकी कंपनी सी0एस0डी0 इन्फ्रा0 के कैशियर प्रकाश द्विवेदी व चालक रविकान्त बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्य शाखा रॉबर्ट्सगंज से 10 लाख रुपये नकद निकालकर वाहन से जा रहे थे। बैंक परिसर में ही अज्ञात संदिग्धों द्वारा वाहन को पंचर कर दिया गया। आगे रामलीला मैदान गेट के पास चक्का पूरी तरह बैठ जाने पर चालक टायर लेकर चला गया, इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति द्वारा कैशियर को भ्रमित कर रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। तहरीर के आधार पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर मु0अ0सं0–1273/2025 धारा 318(4), 303(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

उक्त घटना के क्रम में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्री अभिषेक वर्मा, पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के विशेष निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री अनिल कुमार के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रणधीर मिश्रा के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक रॉबर्ट्सगंज व एसओजी प्रभारी को जरिये मुखबीर खास सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व में थाना रॉबर्ट्सगंज क्षेत्रान्तर्गत रामलीला मैदान गेट के सामने से 10 लाख रुपये की टप्पेबाजी/चोरी की घटना मे शामिल अभियुक्तगण चुर्क रेलवे स्टेशन थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र के पास डेरा डालकर रूके हुए है। उक्त सूचना पर दिनांक 02.01.2026 को बीती रात्रि में एसओजी टीम, प्रभारी निरीक्षक थाना रॉबर्ट्सगंज, चौकी प्रभारी कस्बा एवं चौकी प्रभारी सुकृत के नेतृत्व में 03 टीमों का गठन कर तत्काल पुलिस टीम के साथ मौके पर आकर घेराबंदी की गई, जिसमें पुलिस टीम से घिरता देख अभियुक्तगण के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गई, जिसमें दो नफर अभियुक्तगण 01. गैंग लीडर सुब्रमन्यम पुत्र वेंकेट स्वामी निवासी वाकीपाड़ा पो0 करंजी खुर्द थाना नवापुर जिला नन्दूरवार महाराष्ट्र 02. बालामुर्गन पुत्र नारायण निवासी वाकीपाड़ा पो0 करंजी खुर्द थाना नवापुर जिला नन्दूरवार महाराष्ट्र, के पैर में गोली लगने से घायल हो गए एवं एक अन्य अभियुक्त 03. रामू नायकर उर्फ रामू नायडू पुत्र गणेश निवासी B-10 कामराजनगर थाना तिरुवेरम्बूर जिला तिरुचिरापल्ली तमीलनाडू को भी मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तगण के पास घटनास्थल से 02 अदद अवैध देशी तमंचा, 02 अदद जिन्दा कारतूस, 02 अदद खोखा कारतूस एवं टप्पेबाजी किए हुए 1,35,000 रुपये की बरामदगी की गई। घायल अभियुक्तगण को ईलाज हेतु मेडिकल कॉलेज रॉबर्ट्सगंज भिजवाया गया है जहाँ वह ईलाजरत है। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-1273/2025 धारा 318(4), 303(2) बीएनएस में धारा 109(1), 303(2), 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट की धाराओं की बढ़ोत्तरी की गई है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है।

□□ मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

01. बालामुर्गन पुत्र नारायण निवासी वाकीपाड़ा पो0 करंजी खुर्द थाना नवापुर जिला नन्दूरवार महाराष्ट्र।
02. गैंग लीडर सुब्रमन्यम पुत्र वेंकेट स्वामी निवासी वाकीपाड़ा पो0 करंजी खुर्द थाना नवापुर जिला नन्दूरवार महाराष्ट्र।
03. रामू नायकर उर्फ रामू नायडू पुत्र गणेश निवासी B-10 कामराजनगर थाना तिरुवेरम्बूर जिला तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु।

□□ पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त रामू नायडू ने बताया कि दिनांक 26.12.2025 को वह अपने साथियों बालामुर्गन, सुब्रमन्यम तथा गैंग की महिला सदस्य नन्दिनी पत्नी राजू निवासी – वाकीपाड़ा पो0 करंजी खुर्द थाना नवापुर जिला नन्दुरवार, महाराष्ट्र उम्र – लगभग 35 वर्ष व 02 अन्य नाबालिक लड़को के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा, रॉबर्ट्सगंज के बाहर मौजूद था। उसी दौरान एक व्यक्ति चार पहिया वाहन से बैंक आया और नकद धनराशि निकालने के लिए वाहन खड़ा कर बैंक में चला गया। योजना के तहत अभियुक्त एवं उसके साथियों द्वारा 01 लड़के को वाहन के अगले पहिये में चाकू मारकर पंचर करने के लिए कहा गया, जिस पर उसने वाहन का टायर पंचर कर दिया गया तथा दूसरे लड़के को वाहन से कुछ दूरी पर निगरानी हेतु खड़ा कर दिया गया।

जब संबंधित व्यक्ति बैंक से रुपये से भरा बैग लेकर वाहन में रखकर आगे बढ़ा, तो अभियुक्त बालामुर्गन द्वारा चालक को इशारा कर वाहन के पंचर होने की सूचना दी गई। कुछ दूरी पर वाहन रुकने पर चालक व वाहन स्वामी टायर बदलने में लग गये। इसी दौरान मौके का फायदा उठाते हुए विनीत द्वारा वाहन से रुपयों से भरा बैग चोरी कर लिया गया तथा सभी अभियुक्त भीड़ में अलग-अलग दिशा में निकल गये। अभियुक्त ने बताया कि उसकी गैंग द्वारा अक्सर छोटे बच्चों का प्रयोग किया जाता है ताकि किसी को संदेह न हो। घटना के बाद सभी अभियुक्त ऑटो से चोपन स्टेशन की ओर चले गये, जहां रास्ते में बैग फेंककर रुपये निकाल लिये गये। चोरी की अधिकांश धनराशि अभियुक्त द्वारा अपने आईसीआईसीआई बैंक व एसबीआई खातों में जमा कर दी गई। बाद में आपसी बंटवारे को लेकर विवाद होने पर अभियुक्त ने अपने खातों से रुपये मंगाकर नन्दिनी व अन्य 02 नाबालिक लड़कों को उनका हिस्सा दे दिया। अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया कि इससे पूर्व भी रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र में ओवरब्रिज के नीचे खड़ी कार का शीशा तोड़कर मोबाइल व नकदी चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर मु0अ0सं0 1006/25 धारा 303(2), 324(4) बीएनएस पंजीकृत है।

पुलिस टीम को देखकर पकड़े जाने के भय से अभियुक्त के साथी सुब्रमन्यम व बालामुर्गन द्वारा अपने-अपने पास मौजूद अवैध असलहों से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जबकि अभियुक्त स्वयं छिप गया था, जिसे पुलिस द्वारा घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि इससे पूर्व दिनांक 01.01.2025 को थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा टप्पेबाजी की घटना का सफल अनावरण करते हुए नायडू गैंग की एक महिला सदस्या नन्दिनी पत्नी राजू निवासिनी – वाकीपाड़ा पो0 करंजी खुर्द थाना नवापुर जिला नन्दुरवार, महाराष्ट्र उम्र – लगभग 35 वर्ष सहित 02 बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्ता के कब्जे से ₹ 9,890/- नकद व घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया था जिनको मा0 न्यायालय भेजा गया है।

अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित करने की कार्यप्रणाली -

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उन्होंने दिनांक 03.10.2025 को थाना रॉबर्ट्सगंज क्षेत्रान्तर्गत ओवरब्रिज के नीचे मिशन अस्पताल के सामने खड़ी एक कार का शीशा तोड़कर उसमें रखी नकदी व सामान की टप्पेबाजी की थी। इसके अतिरिक्त अभियुक्तों ने दिनांक 13.12.2025 को जनपद फतेहपुर में की गई टप्पेबाजी की घटना तथा अन्य जनपदों में भी इसी प्रकार की घटनाएं कारित करने की बात स्वीकार की है। अभियुक्तों ने यह भी बताया कि घटना कारित करने के उपरान्त अधिक मात्रा में प्राप्त नकदी को वे बैंक खातों में जमा कर देते हैं, जिसे उनके परिजन निकाल लेते हैं। इस बार चोरी की गई कुल राशि में से 1.35 लाख रुपये उन्होंने अपने पास रखे तथा शेष 8.35 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में जमा कर दिए थे। अभियुक्तगण भीड़भाड़ वाले स्थानों को ही घटना कारित करने के लिए चुनते हैं। अभियुक्तों ने यह भी बताया कि वे घटना कारित करने के लिए इटारसी जंक्शन पर एकत्रित होते हैं तथा घटना के उपरान्त बिहार चले जाते हैं, जहाँ वे प्रायः रेलवे स्टेशनों के आसपास रहते हैं।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

रामू नायकर उर्फ रामू नायडू का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0-67/2022 धारा 379,411,356 भादवि थाना रामजन्म भूमि जनपद अयोध्या उत्तर प्रदेश
02. मु0अ0सं0-85/2022 धारा 379,411 भादवि थाना रामजन्म भूमि जनपद अयोध्या उत्तर प्रदेश
03. मु0अ0सं0-86/2022 धारा 411भादवि थाना रामजन्म भूमि जनपद अयोध्या उत्तर प्रदेश

बालामुर्गन का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0-663/2019 धारा 379, 411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या उत्तर प्रदेश।
02. मु0अ0सं0-452/2018 धारा 120 बी, 379, 411 भादवि थाना कैंट जनपद अयोध्या उत्तर प्रदेश।
03. मु0अ0सं0-618/2019 धारा 120बी, 379,411, 420 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या उत्तर प्रदेश।
04. मु0अ0सं0-152/2019 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर उत्तर प्रदेश।
05. मु0अ0सं0-715/2019 धारा 379,411 भादवि थाना कैंट जनपद गोरखपुर उत्तर प्रदेश।
06. मु0अ0सं0-253/2022 धारा 379 भादवि थाना गोपालगंज जनपद सागर मध्य प्रदेश।
07. मु0अ0सं0-522/2018 धारा 379 भादवि थाना माधवनगर जनपद कटनी मध्य प्रदेश।
08. मु0अ0सं0-296/2013 धारा 379 भादवि थाना टूकोगंज जनपद इंदौर ग्रामिण मध्य प्रदेश।

सुब्रमण्यम नायडू का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0-77/2021 धारा 379,427 भादवि थाना स्वरूपनगर जनपद कानपुर नगर उत्तर प्रदेश।
02. मु0अ0सं0-103/2021 धारा 379,411 भादवि थाना सीमामऊ जनपद कानपुर नगर उत्तर प्रदेश।
03. मु0अ0सं0-109/2021 धारा 411,413,414 भादवि थाना सीमामऊ जनपद कानपुर नगर उत्तर प्रदेश।
04. मु0अ0सं0-130/2021 धारा 379,411,420 भादवि थाना फजलगंज जनपद कानपुर नगर उत्तर प्रदेश।
05. मु0अ0सं0-293/2021 धारा 380 भादवि थाना काकादेव जनपद कानपुर नगर उत्तर प्रदेश।
06. मु0अ0सं0-134/2018 धारा 379, 427 भादवि थाना दारागंज जनपद प्रयागराज उत्तर प्रदेश।
07. मु0अ0सं0-153/2018 धारा 379,411,427 भादवि थाना दारागंज जनपद प्रयागराज उत्तर प्रदेश।
08. मु0अ0सं0-586/2018 धारा 379 भादवि थाना सोरांव जनपद प्रयागराज उत्तर प्रदेश।
09. मु0अ0सं0-227/2018 धारा 411,413,414 भादवि थाना शिवकुटी जनपद प्रयागराज उत्तर प्रदेश।
10. मु0अ0सं0-35/02 धारा 498A, 34 भादवि व द0प्र0अधि0 4 महिला थाना जनपद दुर्ग छत्तीसगढ़।

गैग में शामिल महिला सदस्या नन्दिनी का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 94/2025, धारा 115(2), 351(3), 352 बीएनएस, थाना नन्दगंज, जनपद गाजीपुर (उ0प्र0)
02. मु0अ0सं0 320/2025, धारा 115(2), 296, 3(5) बीएनएस, थाना बहोरापुर, जनपद ग्वालियर (म0प्र0)
03. मु0अ0सं0 202/2008, धारा 323, 324, 34, 341, 506 भादवि, थाना अलीराजपुर (म0प्र0)
04. मु0अ0सं0 151/19, धारा 294/323/34/506 भादवि, थाना ग्वालियर (म0प्र0)
05. मु0अ0सं0 617/24, धारा 191(2), 115(2), 126(2), 118(1), थाना कलहलगाँव (बिहार)
06. मु0अ0सं0 442/16, धारा 294/323/506 भादवि, थाना जनकगंज ग्वालियर (म0प्र0)
07. मु0अ0सं0 193/2009, धारा 294/324/506 भादवि, थाना बुढर जनपद सहडोल (म0प्र0)

गैंग में शामिल प्रथम बाल अपचारी का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 31/2007, धारा 294, 323, 34, 506 भादवि, थाना जीआरपी, जनपद जबलपुर (म0प्र0)
02. मु0अ0सं0 117/2025, धारा 85, 316(2), 115(2), 126(2), 3(5) बीएनएस, महिला थाना खैरथल राजस्थान।
03. मु0अ0सं0 51/2020, धारा 323, 354, 506 भादवि थाना पीपरपुर जनपद अमेठी (उ0प्र0)।
04. मु0अ0सं0 308/2024, धारा 115(2), 351(3), 352 बीएनएस, थाना सरेनी जनपद रायबरेली (उ0प्र0)
05. मु0अ0सं0 264/2014, धारा 394, 323, 34, 427, 506 भादवि थाना चुरहटा जनपद रीवा (उ0प्र0)
06. मु0अ0सं0 90/2021, धारा 323, 504 भादवि व 3(1)द,ध एससी एसटी एक्ट व 3(2)(V)(क) एससी एसटी एक्ट थाना पीपरपुर जनपद अमेठी (उ0प्र0)।
07. मु0अ0सं0 347/2020, धारा 120बी, 201, 302, 34, 363 भादवि थाना जैथरा जनपद ऐटा (उ0प्र0)।

बरामदगी का विवरण-

02 अदद अवैध देशी तमंचा, 02 अदद जिन्दा कारतूस, 02 अदद खोखा कारतूस व चोरी का 1,35,000 रुपये बरामद।

अभियुक्तगण द्वारा कारित चोरी की अन्य घटनाओं का भी सफल अनावरण एवं खुलासा-

01. थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 441/2025 धारा-112 बीएनएस।
02. थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-1273/2025 धारा 318(4), 303(2) बीएनएस में धारा 109(1), 303(2), 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट।
03. थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1006/25 धारा 303(2), 324(4) बीएनएस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री माधव सिंह मय टीम थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
02. एसओजी प्रभारी श्री राजेश जी चौबे मय टीम जनपद सोनभद्र।
03. चौकी प्रभारी कस्बा श्री अमित सिंह थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
04. चौकी प्रभारी चुर्क श्री विनोद कुमार यादव थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
05. का0 सत्यम पाण्डेय (एसओजी टीम), का0 आकाश, का0 शिवम सिंह थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।